राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1559/2025

भंवर सिंह राणावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. हरिनारायण पंकज, प्रशासनिक अधिकारी, जिला कोटा (राज.) कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला बूंदी किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी पदोन्नति उपरांत आलोच्य आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर चुका है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी से विकल्प पत्र लिया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस पर बिना विचार किये अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानांतरण/पदस्थापन कर दिया गया। अपीलार्थी माह दिसम्बर, 2025 में

राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उसकी पत्नी मानसिक बीमारी से पीडित है, परंतु अपीलार्थी की उक्त परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर द्वितीय बटालियन, आरएसी, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला बूंदी किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 01.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत जिला बूंदी स्थानांतरण/पदस्थापित किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी कार्यग्रहण कर चुका है और इस प्रकार पदोन्नति उपरांत आदेश को स्थानांतरण आदेश नहीं माना जा सकता। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अपीलार्थी विभाग में अभ्यावेदन देने हेतु स्वतंत्र है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष